बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या–06 / निबंधन–37 / 2016 परि0................../

प्रेषक,

अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **M/s-MLR AUTO Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- MLR AUTO LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में प्रस्तुत अभिप्रमाणित प्रोटोटाईप जाँच प्रमाण–पत्र के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

Sl. No.	Base Model	Variants	Types of Vehicle	Ex-showroom Price
1	TEJA Handy	--------------------------------	Three Wheeler L5M	Rs. 2,10,000/-
2	TEJA Cabin & Chassis	i. TEJA Super Cabin & Chassis ii. TEJA Super Cabin & Load Carrier iii. TEJA Super Passenger 3+1 iv. TEJA Super Passenger 4+1	Three Wheeler Goods/Passenger L5N/L5M	Rs. 2,50,000/- से 2,55,000/- के बीच

1 निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन / जाँच प्रतिवेदन / मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा ।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा ।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें ।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण(वैधता) अधिनियम, 1995 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरुप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः–Authorised Signatory: For M/s- MLR AUTO LTD., 41/1A,IDA, BALANAGAR, HYDERABAD-500037 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

\

ज्ञापांक : .... 4642 पटना, दिनांक : 28/7/16

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan Software के Master Box में इस मॉडल की प्रविष्टि कर दिया जाय/ I.T. Manager, परिवहन विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय Website पर Type Approval का एक फोल्डर बनाकर इसमें इसकी Entry कर दी जाय।

Rahul 26.7.16

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।